फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

गहलोत विपक्षी सूरजदेवी

वाद पत्रावली संख्या 162/19 सन्

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
16/1/20 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी श्री ताराचंद का अवकाश चाहा। अवकाश दिया जाकर पत्रावली दिनांक 27/1/21 को पेश हो।	
27/1/21 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो.आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 12/5/21 को पेश हो।	
19/03/2021 पत्रावली अधिवक्ता वादी मय वादी द्वारा उपस्थित होकर तलबी मय प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 जा.दी. का पेश करने पर तलब की गई। प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से प्रकरण में वादी कोई कार्यवाही नहीं चाहकर प्रकरण को इसी स्तर पर ड्रोप किया जाने का निवेदन किया। वादी की पहचान इनके अधिवक्ता द्वारा की गई। अतः प्रकरण में वादी कोई कार्यवाही नहीं चाहने से वादी का वाद धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर ड्रोप किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से काटे निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। सहायक कलक्टर (SDO) मावली	गहलोत Rel. by me सूरजदेवी जैन

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.05 16:56:49 IST
Reason: SelfAttested